**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 984**

**05 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए**

**शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन**

**श्री नवीन जिंदलः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत **2.0** शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और यदि हां**,** तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है**;**
**(**ख) अमृत और अमृत **2.0** दोनों के अंतर्गत आज की तिथि तक कुल कितनी सीवेज शोधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं और कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं**;**
**(**ग) उक्त मिशनों के अंतर्गत मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) में सृजित और स्वीकृत कुल सीवेज शोधन क्षमता कितनी है**;**
**(**घ) क्या शोधित सीवेज जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए विशिष्ट क्षमताएं निर्धारित की गई हैं और यदि हां**,** तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है**;** और
**(**ङ) क्या सरकार का अमृत **2.0** के अंतर्गत मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के उन्नयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (घ) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून, 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

अब तक, अमृत के तहत 34,467.01 करोड़ रुपये की 889 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं की नींव रखी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 6,299 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता अनुमोदित की गई है। इसमें से 4,843 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का निर्माण किया गया है, जिसमें से 1,437 एमएलडी क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित की गई है।

अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को पश्चिम बंगाल सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में लॉन्च किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।

अब तक, अमृत 2.0 के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 66,117.69 करोड़ रुपये की 583 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धन) शामिल है, जिसमें से 1,931 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुन उपयोग के लिए है।

(ङ) अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को स्थायी आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हुए पुनर्चक्रण योग्य शोधित पानी के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का फोकस क्षमता निर्माण करना और शोधित डिस्चार्ज एफ्लुएंट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का लक्ष्य मिशन के तहत पानी की उपलब्धता बढ़ाने के माध्यम से जल सुरक्षा के समग्र लक्ष्य में योगदान देकर पानी के उपयुक्त पुन: उपयोग के अवसर पैदा करना है।

इस कार्यक्रम के तहत, डेस्कटॉप मूल्यांकन, क्षेत्र सत्यापन, जल गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर भाग लेने वाले एसटीपी के मूल्यांकन और उसके बाद अंतिम मूल्यांकन के आधार पर पात्र एसटीपी को छह महीने की वैधता के साथ स्टार-रेटिंग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न समूहों में 3-स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले एसटीपी के लिए प्रोत्साहन की राशि नीचे दी गई है

सभी राशियाँ रुपये में

| स्टार रेटिंग | समूह - 1 | समूह - 2 | समूह - 3 | समूह - 4 | समूह - 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | शोधन क्षमता के साथ एसटीपी | | | | |
| | < 5 एमएलडी | 5 से <10 एमएलडी | 10 से <50 एमएलडी | 50 से <100 एमएलडी | 100 एमएलडी और उससे अधिक |
| ***** | 0.75 करोड़ | 1.5 करोड़ | 4 करोड़ | 6 करोड़ | 8 करोड़ |
| **** | 0.5 करोड़ | 1 करोड़ | 2 करोड़ | 3 करोड़ | 5 करोड़ |
| *** | 0.25 करोड़ | 0.75 करोड़ | 1 करोड़ | 2 करोड़ | 2 करोड़ |

इस कार्यक्रम के लिए 70:30 प्रोत्साहन जारी करने की नीति अपनाई गई है, जिसमें आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद एसटीपी को 70 प्रतिशत प्रोत्साहन तुरंत जारी किया जाता है और शेष 30 प्रतिशत प्रोत्साहन अगले छह महीनों के लिए अपनी स्टार रेटिंग बनाए रखने पर जारी किया जाता है। 4 स्टार और 3 स्टार-रेटेड एसटीपी अगले वर्ष तक अपने मानकों को क्रमशः 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग में अपग्रेड करने पर उच्च रेटिंग के लिए निर्धारित शेष प्रोत्साहन के लिए पात्र हो जाते हैं।

इस पहल के तहत जारी प्रोत्साहन का प्रावधान परिचालन क्षमताओं में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, इन्फ्रास्ट्रक्चर के पुन: उपयोग के लिए पूंजीगत व्यय, वास्तविक समय डेटा प्रबंधन प्रणाली (ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) आदि) की स्थापना और संबंधित एसटीपी द्वारा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए किया गया है।

इस उप-योजना के तहत मौजूदा एसटीपी की भागीदारी स्वैच्छिक है। मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 860 एसटीपी को नामांकित (जानकारी प्रस्तुत की गई है) किया गया है।

*****